



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)

Sugandha Bhavan

N.H.By-pass

P.B.No. 2277

Palarivattom P.O.

Kochi - 682 025, India

Circular No.21/2020

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगन्ध भवन

एन.एच.बाईपास

पी. बी. नं. 2277

पालारिवट्टम पी.ओ.

कोच्ची - 682 025, भारत

Dated 22nd January 2021

CIRCULAR

Sub: Submission of Quarterly Export Returns-reg.

As you are aware, as per the terms and conditions for grant of Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES), issued in accordance with the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations 1989 and subsequent Amendments, every Registered Exporter of spices should submit the Export/Purchase/Import Return in the prescribed format to Spices Board on quarterly basis on or before the 10th day of every succeeding quarter.

A 'Nil' return for corresponding quarter, should be submitted even though there is no Export/Purchase/Import.

Accordingly, all the Exporters are required to furnish all the pending Quarterly Export Returns in the prescribed format for the year 2018-19 2019-20, 2020-21(Apr-Dec) on or before 15th February 2021. In this regard, it is informed that renewal of CRES will be subject to furnishing of all pending Quarterly Export Returns.

The prescribed formats for submission of export/purchase/import return is available in our website www.indianspices.com > Marketing > Exporters > Export Returns

The returns should be forwarded to tis.sb-ker@gov.in

Director (Mktg)

All Registered Exporters

(Issued from MKTG/STS/GEN/CIRCULAR/01/2020)



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

सं. 21/2020

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

दिनांक : 22 जनवरी, 2021

परिपत्र

विषय : त्रैमासिक निर्यात विवरण का प्रस्तुतीकरण -बाबत


जैसेकि आप जानते हैं, मसाला बोर्ड (निर्यातकर्ताओं का पंजीकरण) विनियम, 1989 और अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार जारी किए जानेवाले मसालों के निर्यातकर्ता के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सी आर ई एस) प्रदान किए जाने की शर्तों व निबंधनों के अनुसार, मसालों का हर एक पंजीकृत निर्यातकर्ता अगली तिमाही के 10 वें दिन को या उससे पहले तिमाही आधार पर मसाला बोर्ड को निर्धारित प्रपत्र में निर्यात/क्रय/आयात-विवरण प्रस्तुत करेगा।

यद्यपि निर्यात/क्रय/आयात नहीं है, तो भी संबंधित तिमाही के लिए संबद्ध एक 'शून्य' विवरणी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

तदनुसार, सभी निर्यातकर्ताओं द्वारा वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 (अप्रैल -दिसंबर) के लिए लंबित सभी तिमाही निर्यात विवरण निर्धारित प्रपत्र में 15 फरवरी, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि मसालों के निर्यातकर्ता के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सी आर ई एस) का नवीकरण, सभी लंबित तिमाही विवरण प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

साथ ही, निर्यात/क्रय/आयात विवरण के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र बोर्ड की वेबसाइट www.indianspices.com में विपणन>निर्यातक>निर्यात विवरण> उपलब्ध हैं।

विवरण tis.sb-ker@gov.in को अग्रेषित किया जाना चाहिए।


निदेशक(विपणन)

सभी पंजीकृत निर्यातक
(विपणन/एसटीएस/सामान्य/परिपत्र/01/2020 से जारी)